न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 85/2019

1. प्रभात्या बैरवा पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चैनपुरा उप तहसील सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 13.2.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम प्रभात्या मु0नं0 10/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री महावीर सिंह चितोसिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बापी द्वारा उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा के यहां इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई थी कि ग्राम चैनपुरा उप तहसील सैंथल तहसील दौसा मे स्थित भूमि खसरा नं0 473/535 रकबा 0.05 है0 किस्म चरागाह भूमि पर गेहूँ की काश्त कर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.2.2019 के द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पेनल्टी तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया गया। उप तहसीलदार सैंथल के उक्त आदेश दिनांक 13.2.2019 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत के अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने पूर्व में बेदखली की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की और न ही पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया था। पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं लिये और न ही पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिया गया और न ही कोई दस्जावेज प्रदर्श हुआ। पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट को दण्डित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं होना एवं इस बाबत अपीलांट की ओर से शपथ पत्र भी पेश कर दिया जाना व्यक्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने का निवेदन किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील प्रति पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने पर अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर उसका पुत्र उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उसको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किस्म चरागाह भूमि पर गेहूँ की काश्त कर अतिकमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिकमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिकमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को धारा–91 के अन्तर्गत जारी नोटिस में खसरा नम्बर 473/535 पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अंकित किया है किन्तु पारित निर्णय दिनांक 13.2.2019 में खसरा नम्बर 473/535 के बजाय 473/537 किया जाना संभवतया सहवन से अंकित होना प्रतीत होता है। अपीलांट की ओर से प्रश्नगत चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.2.2019 में से सिविल कारावास की सजा अतिकमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official